प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0।

सेवा में,

1. निदेशक/प्रधानाचार्य:
समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान, उ0प्र0।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक:
समस्त जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/ब्लड सर्विसेज/2017–18/ 1502-2 दिनांक 25.5.2017

विषय:—जनसामान्य को आवश्कता के समय रक्त की उपलब्धता सुलभ कराने हेतु रक्तकोषों द्वारा स्टॉक एवं मानव संसाधन की सूचना रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में।

महोदय,

संज्ञान में लाना है कि आवश्यकता के समय समस्त जरूरतमंद को ससमय उच्च गुणवत्ता का रक्त उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। जिसके क्रम में शासन एवं महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर सम्बन्धित आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं, परन्तु कतिपय रक्तकोषों द्वारा अभी तक जरूरतमंद को रक्त की सुलभ उपलब्धता हेतु कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी जा सकी है, जोकि प्रदेश सरकार द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली सुलभ चिकित्सकीय सेवाओं के संकल्प के दृष्टिगत अत्यन्त खेद का विषय है।

प्रदेश में स्थापित रक्तकोषों के द्वारा जनसामान्य को आकस्मिकता के समय रक्त की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत आपसे निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है—

- आप अपने संस्थान में संचालित रक्तकोष के द्वारा खपत का आंकलन कर स्वैच्छिक रक्तदान से प्रचुर मात्रा में रक्त संग्रहित कर मुख्य द्वार पर रक्तकोष में उपलब्ध रक्त स्टॉक की जानकारी दैनिक आधार पर प्रदर्शन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे जरूरतमंद द्वारा वांछित रक्त समूह की अनुपलब्धता की दशा में बिना समय का ह्रास किये अन्यत्र लाइसेन्सशुदा रक्तकोष से रक्त प्राप्त किया जा सके।
  साथ ही रक्तकोष द्वारा रक्त स्टॉक की दैनिक सूचना एस0बी0टी0सी0 की वेबसाइट www.sbtcup.org पर प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें, जिससे रक्तकोष की भण्डारण की स्थिति एवं वांछित समूह की उपलब्धता किसी भी स्थान से ज्ञात की जा सकें।
- रक्तकोषों में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं मोबाइल नं0 पदनाम सहित रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे जरूरतमंद को आवश्यकता के समय सम्बन्धित व्यक्ति से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकें।
- रक्त कोष के मुख्य द्वार पर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुरूप रक्त एवं रक्त अवयवों के शुल्क स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के साथ–साथ विशेष प्रकार के रोगियों जैसे— थैलसीमिया, हीमोफिलीया, एच0आई0वी0 आदि के साथ जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को दिये जाने वाले निःशुल्क व्यवस्था का भी विवरण उल्लिखित किया जायें।

* रक्तकोष में प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित की जाये, जिसका व्यय रक्तकोष द्वारा संग्रहित यूजर्स चार्जेस अथवा रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।
कृपया उपरोक्त कार्यवाहियों हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के साथ प्राथमिकता के साथ अनुपालन कराने का कष्ट करें, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद को ससमय रक्त उपलब्ध एवं गुणवत्ता सुनिश्चितकी जा सकें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0 / ब्लड सर्विसेज / 2017-18 / दिनांक

प्रतिलिपि–
1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 का इस आशय से प्रेषित की समस्त राजकीय चिकित्सालयों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0 का इस आशय से प्रेषित की समस्त चिकित्सा संस्थानों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, चिकित्सा उपचार को अनुपालनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त रक्तकोष प्रभारी, राजकीय / सरकारी रक्तकोष को इस आशय से प्रेषित कि निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड सेल

प्रेषक,

निशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य निशन,
उ0प्र0।

सेवा में,

1. निदेशक/प्रधानाचार्य:
समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान, उ0प्र0।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक:
समस्त जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/ब्लड सर्विसेज/2017–18/ दिनांक 25.5.2017

विषय:–जनसामान्य को आवश्यकता के समय रक्त की उपलब्धता सुलभ कराने हेतु रक्तकोषों द्वारा स्टॉक एवं मानव संसाधन की सूचना रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में।

महोदय,

संज्ञान में लाना है कि आवश्यकता के समय समस्त जरूरतमंद को ससमय उच्च गुणवत्ता का रक्त उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। जिसके क्रम में शासन एवं महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर सम्बन्धित आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं, परन्तु कतिपय रक्तकोषों द्वारा अभी तक जरूरतमंद को रक्त की सुलभ उपलब्धता हेतु कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी जा सकी है, जोकि प्रदेश सरकार द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली सुलभ चिकित्सकीय सेवाओं के संकल्प के दृष्टिगत अत्यन्त खेद का विषय है।

प्रदेश में स्थापित रक्तकोषों के द्वारा जनसामान्य को आकस्मिकता के समय रक्त की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत आपसे निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है–

- आप अपने संस्थान में संचालित रक्तकोष के द्वारा खपत का आकलन कर स्वैच्छिक रक्तदान से प्रचुर मात्रा में रक्त संग्रहित कर मुख्य द्वार पर रक्तकोष में उपलब्ध रक्त स्टॉक की जानकारी दैनिक आधार पर प्रदर्शन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे जरूरतमंद द्वारा वांछित रक्त समूह की अनुपलब्धता की दशा में बिना समय का ह्रास किये अन्यत्र लाइसेन्सशुदा रक्तकोष से रक्त प्राप्त किया जा सके। साथ ही रक्तकोष द्वारा रक्त स्टॉक की दैनिक सूचना एस0बी0टी0सी0 की वेबसाइट www.sbtcup.org पर प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें, जिससे रक्तकोष की भण्डारण की स्थिति एवं वांछित समूह की उपलब्धता किसी भी स्थान से ज्ञात की जा सकें।
- रक्तकोषों में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं मोबाइल नं0 पदनाम सहित रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे जरूरतमंद को आवश्यकता के समय सम्बन्धित व्यक्ति से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकें।
- रक्त कोष के मुख्य द्वार पर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुरूप रक्त एवं रक्त अवयवों के शुल्क स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के साथ–साथ विशेष प्रकार के रोगियों जैसे– थैलेसीमिया, हीमोफिलीया, एच0आई0वी0 आदि के साथ जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को दिये जाने वाले निःशुल्क व्यवस्था का भी विवरण उल्लिखित किया जायें।

क्र.प.उ.

- रक्तकोष में प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित की जाये, जिसका व्यय रक्तकोष द्वारा संग्रहित यूजर्स चार्जेस अथवा रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त कार्यवाहियों हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के साथ प्राथमिकता के साथ अनुपालन कराने का कष्ट करें, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद को समय रक्त उपलब्ध एवं गुणवत्ता सुनिश्चितकी जा सके।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/ब्लड सर्विसेज/2017-18/1502-2(6) दिनांक

प्रतिलिपि-
1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 का इस आशय से प्रेषित की समस्त राजकीय चिकित्सालयों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0 का इस आशय से प्रेषित की समस्त चिकित्सा संस्थानों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, चिकित्सा उपचार को अनुपालनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त रक्तकोष प्रभारी, राजकीय/सरकारी रक्तकोष को इस आशय से प्रेषित कि निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड सेल